(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/109

बउनवान

1– मांगीलाल पुत्र किशना निवासी नृसिंहपुरा पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ (अपीलांट)

बनाम

1– अमृतलाल पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)
2– बिरधीबाई पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)
3– बद्रीबाई पुत्री स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)
3/1 नंदसिंह पुत्र बद्रीबाई निवासी नृसिंहपुरा पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ
3/2 हरजी पुत्र बद्रीबाई निवासी नृसिंहपुरा पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ
3/3 राजेन्द्र पुत्र बद्रीबाई निवासी नृसिंहपुरा पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ
3/4 धनकंवर पुत्री बद्रीबाई निवासी नृसिंहपुरा पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ
4– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार, अटरू के तस्दीकी नामांतरण संख्या 151/90 दर्ज दिनांक 26.12.1988 वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 1 ता 3/4)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 4)

निर्णय दिनांक 20.02.2026

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू जिला बारॉ के तस्दीकी नामांतरण संख्या 151/90 दिनांक 26.12.1988 वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.) से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 06.06.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 01 ता 3/4 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया है जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। रेस्पो. क्रम 01 ता 3/4 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। रेस्पो. क्रम 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। अपीलांट के अभिभाषक की सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई, जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे अंतिम बहस अपीलांट के अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो एवं लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टगण स्व. किशना के वारिसान है तथा उसके पुत्र व पुत्री है। स्व. किशना के खाते की भूमि कृषि आराजी खाता संख्या पुराना 8 नया 70 की खसरा नं. 114 रकबा 0.8300 हे., खसरा नं. 299 रकबा 0.0800 हे., खसरा नं. 93 रकबा 0.0100 हे., खसरा नं. 94 रकबा 2.42 हे. कुल 4 किता रकबा 3.3400 हे. ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का करवालिया तहसील मोठपुर जिला

बारां में स्थित है। उक्त आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण बराबर के हिस्सेदार है तथा सब अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट के पिता किशन का स्वर्गवास हो चुका है। उनके देहांत के बाद उपरोक्त आराजी का इंतकाल किशना के सब वारिसान के नाम खुलना चाहिए था। लेकिन रेस्पोडेन्टगण ने फर्जी व कूटरचित तौर पर धोखाधडी करते हुए केम्प ननावता पंचायत करवालिया में एक झूठी व फर्जी रिपोर्ट तथा आईएलआर की झूठी रिपोर्ट के आधार पर बिना जांच किये स्वयं रेस्पोडेन्टगण तथा अपीलांट की माता स्व. भंवरी बाई के नाम इंतकाल क्रमांक 151 खुलवा लिया तथा अपीलांट का नाम बिना किसी कारण, बिना अपीलांट को सुने और सुनवाई का मौका दिये बिना हटवा दिया। अपीलांट की माता भंवरीबाई का देहांत सन् 2007 में हो चुका है। रेस्पो. क्रम 04 को बिना किसी यथोचित युक्तियुक्त कारण के इंतकाल नं. 151 से अपीलांट का नाम हटाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट स्व. किशना का जायज पुत्र होने से विवादित आराजी में समान हिस्सा पाने का अधिकारी है। कानून के अनुसार अपीलांट को प्राप्त होने वाले हिस्से को समाप्त करने का रेस्पो. क्रम 04 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामांतरण क्रमांक 151/90 आदेश दिनांक 26.12.1988 निरस्त फरमाया जावें। अन्य जो न्यायोचित सहायता हो वह प्रदान की जावें।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, जमाबन्दी ग्राम नृसिंहपुरा संवत 2071–2074 की फोटो प्रतियां जिनमे अपीलांट मांगीलाल के पिता का नाम किशना अंकित है पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू जिला बारॉ द्वारा फौती नामांतरण संख्या 151/90 दिनांक 26.12.1988 वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.) जो किशना की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान के नाम नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामांतरण जिल्द के कॉलम संख्या 9 व 16 मे पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का नाम मांगीलाल अंकित किया गया है। किन्तु निर्णय मे नायब तहसीलदार अटरू द्वारा उसका नाम अंकित नही किया गया है। इस प्रकार नामांतरण मे प्रथम दृष्टया अपीलांट का नाम छूट जाना प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा तस्दीकी नामांतरण संख्या 151/90 दिनांक 26.12.1988 वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.) निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, अटरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में (मृतक) किशना गुर्जर के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करवाई जाकर, विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार फौती नामांतरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ